पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग),
भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्ली , कार्तिक 14, 1945
रविवार, नवंबर 05, 2023

रक्षा मंत्री ने महिला सैनिकों, नाविकों और हवाई योद्धाओं के लिए उनके अधिकारी समकक्षों के समान मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चे को गोद लेने के लिए अवकाश के प्रावधान को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों में महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के लिए मातृत्व, बाल देखभाल और बच्चों को गोद लेने के अवकाश के नियमों को उनके अधिकारी समकक्षों के समान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नियम जारी होने के साथ ही सेना में सभी महिलाओं को इस तरह की छुट्टियां दी जाएंगी। छुट्टी के नियम सब पर समान रूप से लागू होंगे चाहे वह अधिकारी हों या कोई अन्य रैंक।

यह निर्णय सशस्त्र बलों में सभी महिलाओं की समावेशी भागीदारी के रक्षा मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है, चाहे वे किसी भी रैंक की हों। छुट्टी के नियमों के विस्तार से सशस्त्र बलों से संबंधित महिला-विशिष्ट पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों से निपटने में आसानी होगी। यह उपाय सेना में महिलाओं की कार्य स्थितियों में सुधार करने जा रहा है और उन्हें पेशेवर तथा पारिवारिक जीवन के क्षेत्रों को बेहतर तरीके से संतुलित करने में सहायता करेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की नारी शक्ति के उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, तीनों सेनाओं ने सैनिकों, नाविकों और हवाई योद्धाओं के रूप में महिलाओं को शामिल करके एक विराट बदलाव किया है। महिला अग्निवीर की भर्ती के द्वारा सशस्त्र बलों को देश की सीमाओं की रक्षा के लिए महिला सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं की बहादुरी, समर्पण और देशभक्ति के साथ सशक्त बनाया जाएगा।

दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन में परिचालन रूप से तैनात होने से लेकर युद्धपोतों पर तैनात होने के साथ-साथ आसमान पर हावी होने तक, भारतीय महिलाएं अब सशस्त्र बलों में लगभग हर क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ रही हैं। 2019 में भारतीय सेना के सैन्य पुलिस कोर में सैनिकों के रूप में महिलाओं की भर्ती के माध्यम से एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का हमेशा से यह विचार रहा है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अपने पुरुष समकक्षों के बराबर होना चाहिए।

एबीबी/एसएस